निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या : 40/2022 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. लक्ष्मा उर्फ लक्ष्मीनारायण पुत्र नैनूराम उर्फ नैनूलाल
2. पाच्या उर्फ पांचूराम पुत्र नैनूराम उर्फ नैनूलाल
3. कमल पुत्र स्व॰ जगदीश पौत्र स्व॰ नानगराम उर्फ नानगा
4. प्रकाश पुत्र स्व॰ जगदीश पौत्र स्व॰ नानगराम उर्फ नानगा
5. गोमा बेवा स्व॰ जगदीश पुत्रवधु पौत्र स्व॰ नानगराम उर्फ नानगा

समस्त जाति माली, निवासी ग्राम सेवापुरा घाटी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर ।,

प्रार्थीगण

बनाम

1. गणपत लाल पुत्र नारानायण
2. सियाराम पुत्र रामनारायण
3. गोविन्दा पुत्र नानगा
4. सूरज पुत्र नानगा
5. बनवारी लाल पुत्र कैलाश चन्द
6. प्रभू दयाल पुत्र सूज्या
7. पांचूराम पुत्र सूज्या
8. जगदीश नारायण पुत्र रूपा उर्फ रूपनारायण
9. भौरी देवी पत्नी रूपा उर्फ रूपनारायण
10. मनभर पुत्री रूपा उर्फ रूपनारायण
11. सरजू पुत्री रूपा उर्फ रूपनारायण

समस्त जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम कुंथाडा कला, कापडियावाली ढाणी, तहसील बस्सी जिला जयपुर ।

12. उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 आर टी एक्ट 1955 बाबत उपखण्ड अधिकारी बस्सी के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 65/2021 ब उनवानी लछमा उर्फ लक्ष्मीनारायण व अन्य बनाम गणपतलाल को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः—

1. श्री सचिन शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री बनवारी लाल शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 की ओर से ।

जिला कलक्टर
जयपुर

निर्णय दिनांक 31.10.2022

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी बस्सी के समक्ष प्रकरण संख्या 65/2021 ब उनवानी लछमा उर्फ लक्ष्मीनारायण व अन्य बनाम गणपतलाल व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने मे शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी बस्सी से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 की ओर से अधिवक्ता श्री बनवारी लाल शर्मा उपस्थित है।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थीगण जाति से माली समाज के है एवं अप्रार्थी संख्या एक लगायत बाहर जाति से हरियाण ब्राह्मण समाज के है एवं अप्रार्थी संख्या तेरह पीठासीन अधिकारी भी जाति से हरियाणा ब्राह्मण है यानि की अप्रार्थी सख्या एक लगायत बाहर एवं अप्रार्थी संख्या तेरह एक ही जाति एवं समाज से है। अप्रार्थीगण संख्या एक व दो आये दिन अप्रार्थी संख्या तेरह के कार्यालय में आते जाते रहते है एवं प्राथीगण ने गांव में यह चर्चा सुनी कि अप्रार्थी संख्या तेरह अप्रार्थी संख्या एक लगायत बाहर के प्रभाव में आ कर प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णय पारित करेंगे। दिनांक 04.02.2022 को तहसील बस्सी में किसी कार्य से गया तो उस समय प्रार्थी संख्या तीन ने अप्रार्थी संख्या एक को अप्रार्थी संख्या तेरह के कक्ष से बाहर से निकलते हुए देखा तो उसके पश्चात प्रार्थीगण ने गांव में जानकारी की तो उन्हें ज्ञात हुआ कि अप्रार्थी संख्या एक लगायत बाहर एवं पीठासीन अधिकारी एक ही समाज के होने के कारण उनकी आपस में रिश्तेदारी है। अप्रार्थी संख्या एक लगायत बाहर काफी प्रभावशाली व्यक्ति है एवं वह लोगों को यह कहते रहते है कि उनकी तहसीलदार, एस.डी.ओ. नाबय तहसीलदार सभी से अच्छी जान पहचान है वह उनसे कुछ भी काम करवा सकते है । इसलिए प्रार्थीगण को पूरा पूरा भय है कि वह प्रार्थीगण के खिलाफ अप्रार्थी संख्या 13 के यहां फैसला जरूर करवायेंगे ऐसी दशा में प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 13 के यहां चल रही पत्रावली में न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए पत्रावली को जयपुर स्थित किसी भी न्यायालय को स्थानान्तरित किया जाना आवयश्क एवं प्राथर्नीय है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रार्थीगण ने निराधार, मनगढंत एवं काल्पनिक तथ्यों के आधार पर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश कर निस्तारण में विलम्ब किये जाने की मन्शा से यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण का यह आरोप लगाना कि पीठासीन अधिकारी भी हरियाणा ब्राह्मण है तथा उत्तरदातागण भी हरियाणा ब्राह्मण है। उक्त आधार से प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं है । अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. प्रार्थीगण ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में उपखण्ड अधिकारी बस्सी के पीठासीन अधिकारी एवं उत्तरदाता अप्रार्थीगण एक ही जाति के होने का आरोप लगाते उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम

जिला कलक्टर
जयपुर

न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है। पीठासीन अधिकारी एवं उत्तरदाता अप्रार्थीगण एक ही जाति के होना प्रकरण के मुन्तकिल का कोई आधार नहीं है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर 31.10.2022 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर